ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 236-241

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष परिप्रेक्ष्य में, ब्रिटिश विद्रोही 'विमुक्त जनजातियों' की विवेचना

बी के लोधी

DNT Activist 1. Ex.&Deputy Secretary & Director (Research) National Commission for Denotified, Nomadic and Semi nomadic Tribes, Govt- of India (2) Senior Fellow& ICSSR, Affiliated with GBPSSI, Jhusi, Prayagraj (U.P.), India

इस शोध पत्र के लेखक ICSSR-SENIOR FELLOW हैं।

Received- 10.07.2020, Revised- 16.07.2020, Accepted - 21.07.2020 E-mail: bklodhi@gmail-com

सारांश : ***भारत हजारों वर्षों से विविधता मूलक देश रहा है. सामाजिक–सांस्कृतिक वैविध्य एवं व्यावसायिक विविधता के बल पर पूर्व औपनिवेशिक काल तक भारत, विश्व का सबसे अधिक संपन्न देश था। जातियां प्रथक सांस्कृतिक समूहों के अलावा अलग अलग उत्पाद व सेवा इकाइयाँ थीं। उत्पादविनिमय प्रथा एवं परस्पर क्रय विक्रयी संबंधों के कारण घनिष्ठ सामाजिक एकता भी थी। अंग्रेजों ने जब उत्तर भारत में अपने पैर पसारना शुरू किये तो यहाँ के जल, जंगल और जमीन के असल मालिकों ने अपने अपने इलाकों में हथियारबंद विद्रोह किये. रूहेलखंड विद्रोह–1770, बुंदेलखंड विद्रोह–1842 और अंततः भीषण स्वतंत्रता संग्राम–1857 उत्तर प्रदेश में ही घटित हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत आर्थिक रूप से ही निर्धन नहीं हुआ, वरन सांस्कृतिक रूप से भी विपन्न हुआ। 1930 के दशक तक ब्रिटिश भारत की लगभग 200 विद्रोही जातियों को क्रिमिनल ट्राईब्स घोषित कर दिया गया, जबकि 400 से अधिक जातियां अस्पृश्य मानी जाने लगीं थीं. 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट समाप्त कर दिया था। तब से समस्त क्रिमिनल ट्राईब्स को विमुक्त जनजाति कहा जाने लगा. भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकारों ने विमुक्त जनजातियों के विकास के लिये अनेक उपाय किये, किन्तु उत्तर प्रदेश में इनके विकास–कल्याण की बात बहुत दूर है, अभी यहाँ रहने वाली विमुक्त जनजातियाँ, सरकारों की उदासीनता के कारण अपनी विमुक्त जनजातीय पहचान के संकट से जूझ रहीं हैं।***

कुंजीभूत शब्द– सीटीए, क्रिमिनल ट्राईब्स, विमुक्त, घुमंतू जनजाति, ब्रिटिश विद्रोही, सांस्कृतिक, जनजातियाँ।

अंग्रेजो का राज दुनियां के 53 देशों में था, किन्तु क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट जैसा अमानवीय क्रूर कानून केवल भारत में ही लागू किया था। क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट, 1871 की पृष्ट भूमि में लॉ एंड ऑर्डर के सदस्य टी वी स्टीफन का कथन था कि भारत में जातिगत व्यवसाय होते हैं कुछ जातियों का जन्मजात व्यवसाय अपराध करना है, वे क्रिमिनल ट्राईब्स हैं. इतना ही नहीं उनका धर्म भी अपराध है। स्टीफन विद्रोही समुदायों के प्रति इतनी अधिक घृणा रखता था कि उसने यह भी कहा कि क्रिमिनल ट्राईब्स को सुधारा नहीं जा सकता. इनका एक ही उपाय है कि ठगों की तरह इनका भी बध कर दिया जाय। 1857 के समर के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारीयों ने मार्शल रेस की थ्योरी ईजाद की और भारत की समस्त जातियों को मार्शल और नॉन मार्शल जातियों के रूप में वर्गीकृत किया। घुमंतू जनजातियों को मार्शल जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि सेना में भारती के लिए आवश्यक उनका कोई स्थाई पता नहीं था।

मार्शल जातियों में भी ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने वफादार और गैर वफादार जातियों की पहचान की, जो मार्शल जातियां ब्रिटिश राज के प्रति अभी भी विद्रोही तेवर रखतीं थीं, उन्हें गैर वफादार मानते हुये क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट, 1871 के तहत जन्मजात अपराधी ट्राईब्स घोषित किया गया. ऐसी मार्शल किन्तु अविश्वसनीय जातियों में उत्तर भारत की गूजर, लोधी, मल्लाह और पासी आदि जातियां थीं, जबकि तमिलनाडु की मारवार जाति थी, जिसके हजारों सैनिक सुभाष चंद बोस की आजाद हिन्द फौज में भर्ती थे। अब ये सभी विमुक्त जातियां हैं किन्तु इन्हें समस्त भारत में आक्रान्ता एवं अपराधी प्रकृति का माना जाता है।

क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– विद्रोही समुदायों को नियंत्रित करने के लिये सर्वप्रथम वर्ष 1871 में क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट उत्तर भारत में लागू किया गया था। इसकी पृष्ठ भूमि के बारे में महाश्वेता देवी ने लिखा है कि उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह 1770 के दशक में रूहेलखंड में हुआ था। अंग्रेजों ने एक खूनी युद्ध और निर्दोषों के क्रूर नरसंहार के बाद शांतिपूर्ण रूहेलखंड को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा की अपेक्षित था कई जनजातियाँ और जातियां रूहेलखंड छोड़ कर भाग गयीं और कई अंग्रेजों प्रति प्रतिशोधी हो गये। क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट, 1871 लागू करने के पहले अंग्रेजों ने उत्तर भारत की कुछ किसान जातियों रेगूलेशन एक्ट XXII& 1793 के तहत अपराधी जनजाति के रूप में

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-1, Issues-16 YEAR- June. -2020

अधिसूचित किया था'।

रूहेलखंड विद्रोह के बाद कंपनी सरकार के विरुद्ध दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड में हुआ था, जो बुंदेला विद्रोह–1842 के नाम से विख्यात है। यह विद्रोह कंपनी के प्रशासन के अधीन सागर और नर्मदा टेरीटरीज वाले यमुना, नर्मदा, चम्बल और टोंस नदियों से घिरे महाकौशल एवं एवं बुंदेलखंड में फैला हुआ था। इस विद्रोह का प्रारंभ बुंदेलों ने किया था, इसलिए इसे बुंदेला विद्रोह भी कहा जाता है, किन्तु शीघ्र ही इस विद्रोह की कमान लोधी राजा हिरदेशाह ने संभाल ली थी. विद्रोह में बुंदेला, लोधी और गोंड आदिवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।[2] यह विद्रोह पूरे तीन वर्ष चार माह तक चला था। जब दीर्घ समय तक विद्रोहियों को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो गवर्नर जनरल की ओर से 2 नवम्बर 1842 को घोषणा की गयी कि जो विद्रोही अपराधी प्रकृति छोड़ देंगे उन्हें कंपनी सरकार क्षमा करने के साथ पुरस्कृत भी करेगी। क्षमादान एवं पुरस्कार के लालच में विद्रोहियों में फूट पड़ गयी. इससे राज्य क्रांति को बहुत बड़ा धक्का लगा। क्षमा न मागने के कारण गौड़ और लोधी 1842 में ही अपराधी प्रकृति के घोषित कर दिए गये थे।[3]

कंपनी सरकार के विरुद्ध गौड़ आदिवासियों एवं लोधियों के विरोध की यह विरासत 1857 में और ज्यादा मुखर हुई। राजा हिरदेशाह की प्रेरणा से इसका नेतृत्व रामगढ की रानी अवंतिबाई (लोधी) ने किया था। राजा हिरदेशाह का पूरा परिवार 1857 के संग्राम में भी शामिल होकर शहीद हो गया था। आर. वी. रसैल– 1916 लिखा है कि मध्य प्रान्त के समस्त लोधी जन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गये थे। आर.वी. रसैल ने नरसिंहपुर गजेटियर में लिखा है कि यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों विद्रोह, 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 के विद्रोह को प्रमुख रूप से भड़काने वाला एक पहाड़ी लोधी हीरापुर का राजा था।[4] मुख्य रूप से इन दोनों विद्रोहों में शामिल होने के कारण ही गौड़ आदिवासियों एवं लोधियों को क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट के अधीन अधिसूचित किया गया था।

पासियों ने अवध क्षेत्र में, मल्लाहों ने कानपुर, आगरा व मथुरा परिक्षेत्र में तथा गूजरों ने धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में 10 मई 1857 मेरठ प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरम्भ किया था। गूजरों का या विद्रोह मेरठ, बुलंदशहर एव दिल्ली में फैला हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने गूजरों के अनेक गाँव तोपों से उजाड़ दिये थे। सैकड़ों गूजर या तो युद्ध में शहीद हो गये थे या उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्रांति के अगुआ धन सिंह गुर्जर को मेरठ के चौराहे पर फांसी दे दी गयी थी। 1857 के स्वातंत्र्य समर की ज्वाला शांत होने के बाद भी गूजरों ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह जारी रहा था। आज भी गूजरों को आक्रान्ता प्रकृति का माना जाता है।

औपनिवेशिक काल में भारत के समस्त प्रान्तों की लग भाग 192 जातियों –जन जातियों को क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट के तहत क्रिमिनल घोषित किया गया था, जबकि केन्द्रीय सूची में इनकी (ब्तपउपदंस ज्तपइमे) की कुल संख्या 127 दर्ज है। (अयंगर कमेटी, 1949–50). इनमें 51 समुदाय ऐसे भी थे जिन्हें अस्पृश्यता के कलंक से भी जूझना पड़ा। (सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1931) ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की कुल 429 से जातियों को अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति घोषित किया गया।[5]

ब्रिटिश शासन द्वारा जन्मजात अपराधी घोषित की गई जातियों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1– मेजर क्रमिनल– इनके बारे में इस बात के दस्तावेजी प्रमाण हैं कि उत्तर भारत की गूजर, लोधी, केवट, मल्लाह, एवं पासी आदि जातियों ने, महाराष्ट्र में रामोशी समुदाय ने तथा दक्षिण भारत (तमिलनाडु) की मारवाड़, कल्लर व अगमुदयार आदि जातियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह किए थे। इन बड़े अपराधियों की कुछ एक छोटी बड़ी रियासतें, जागीरें व जमींदारियां थी और ये एक स्थान पर रहने वाले स्वाभिमानी–स्वतंत्र समुदाय थे। ये समुदाय जल, जंगल, जमीन के वास्तविक मालिक थे। और जब अंग्रेजों ने इनके मालिकाना हक पर कब्जा करने की कोशिश की तो इन्होंने अपने–अपने इलाकों में अनवरत सशस्त्र विद्रोह किये थे।

वर्तमान विमुक्त जनजातियों के विषय में अयंगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट (1949–50) में उद्धृत किया कि ऐसे ट्राईब्स जिन्हें अपराधी ट्राईब्स अधिसूचित किया गया था, वे अतीत में अनियमित योद्धा (प्ततमहनसंत पिहीजपदह उमद) थे, या आक्रमणों या राजनीतिक परिवर्तनों के कारण अपने घरों से बिस्थापित होना पड़ा था, या ये बहुत ही बिषम परिस्थितियों के कारण डिप्रैस्ड व्यक्ति बन चुके थे, जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था।[6]

2– माईनर क्रिमिनल– औपनिवेशिक काल के पहले से ही घुमंतू जनजातियां जैसे सांसी, सहारिया, कंजर, कुचबंदिया, नट, हबूड़ा, भांतू, बंजारा, बहेलिया आदि परंपरा एवं संस्कृति के अनुसार घुमंतू जीवन यापन करते थे। ये अपने राजाओं व जमीदारों के प्रति वफादार होते थे और उनकी सांठ –गाँठ से प्रायः ब्रिटिश भारत में चोरी, लूट व डकैती को अंजाम देते थे। इस बात के भी प्रमाण है कि देसी राजा, जागीरदार व जमीदार उक्त घुमंतू जनजातियों को अपने इलाके से बाहर या ब्रिटिश भारत में डकैती एवं

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

लूट के लिये इस्तेमाल करते थे। बॉम्बे प्रेसीडेंसी में विमुक्त जनजातियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए 1937 में मुंशी कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने भी पाया कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ऊंची प्रभावशाली जातियां एवं जमीदार अपराधी जनजातियों को लूट की छूट देते हैं और उसमें अपना हिस्सा लेते हैं।[7] आजादी के बाद 1949 में बॉम्बे प्रोविंस के लिए गठित डॉ. एन्त्रोलिकर ने अपना निष्कर्ष दिया कि अपराधी जनजातियां शेष जनता की अपेक्षा कम अपराधी हैं।

ब्रिटिश विद्रोही समुदायों को सामाजिक व्यवहार में आज भी अपराधी माना जाता है. वर्ष 2008 में लोकसभा में एप्रोप्रियेशन बिल पास हुआ था जिसमें उड़ीसा की लोधा विमुक्त जनजाति के विषय में कहा गया की लोधा जो कि वास्तव में स्वातंत्र्य योद्धा थे, लेकिन उन्हें अभी भी अपराधी माना जाता है।[8] समाज एवं पुलिस प्रशासन का ऐसा ही रवैया अन्य विमुक्त जनजातियों के साथ भी है।

डिनोटीफाईड ट्राईब्स शब्दावली की व्युत्पत्ति– क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट वर्ष 1924 में कुछ नये प्रावधानों संशोधित किया गया था। क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट, 1924 का निरसन दिनांक 31ध्8ध्1952 को किया गया था।[9] तब से क्रिमिनल ट्राईब्स को एक्स–क्रिमिनल ट्राईब्स कहा गया। जबकि काका कालेलकर आयोग–1955 ने सुझाव दिया कि क्रिमिनल ट्राईब्स को डिनोटीफाईड कम्युनिटीज या विमोचित जातियां कहा जाय। अंततः केन्द्रीय कार्यालयों में भूतपूर्व क्रिमिनल ट्राईब्स के लिये 'डिनोटीफाईड ट्राईब्स' शब्दावली प्रयोग किया जाने लगा।[10] किन्तु हिंदी पट्टी की राज्य सरकारें 'डिनोटीफाईड ट्राईब्स' का हिंदी अनुवाद 'विमुक्त जनजाति' के बजाय 'विमुक्त जाति' करती हैं। ब्रिटिश कालीन कानूनी कलंक से तो ये विमुक्त हो गये किंतु सामाजिक एवं सरकारी व्यवहार में इनके साथ आज भी अपराधी जैसा ही व्यवहार किया जाता है।[11] किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा में इस विशाल आबादी के लिये कोई भी जगह नहीं है। शोध निष्कर्ष स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत के इन समुदायों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरुआत से ही सशस्त्र विद्रोह किए थे। किन्तु इतिहास की पुस्तकों में उन्हें कोई स्थान नहीं मिला।[12]

शासन में पिछड़े वर्गों की भागीदारी के विधिक प्रयास तब से प्रारंभ हुये जब साइमन कमीशन (1928–1930) भारत आया। उस समय क्रिमिनल ट्राईब्स का कोई प्रतिनिधि नहीं था। डॉ. आम्बेडकर केवल अस्पृश्य जातियों के अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे थे। जबकि ठक्कर बापा आदिवासियों के प्रतिनिधि थे और संयुक्त प्रान्त में स्पृश्य पिछड़ी जातियों (जिन्हें आज ओबीसी कहा जाता है) के प्रतिनिधि बैरिष्टर राम चरण निषाद एवं एडवोकेट शिवदयाल चौरसिया थे। उस दौर में केवल डॉ. आम्बेडकर ही अपने प्रयास में सफल हुये थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये प्रथम शेड्यूल अस्पृश्य जातियों को स्थान मिला। यद्यपि काफी वाद विवाद के पश्चात अस्पृश्य मानी गयीं अपराधी जातियों को भी 1936 में जारी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया गया था।

आजादी के बाद 1950 में दूसरा शेड्यूल बना जिसमे आदिवासियों को स्थान मिला और उन्हें शेड्यूल ट्राईब्स नाम दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (स्पृष्य पिछड़ी जातियों) को मंडल आयोग ने 1980 में सूचीबद्ध किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1992 में लागू किया गया। विमुक्त जनजातियों के लिये कोई केन्द्रीय अनुसूची या अलग श्रेणी अभी तक नहीं बनायीं गयी. विमुक्त जातियों में से कुछ को अनुसूचित जनजाति में तथा स्पृश्य विमुक्त जनजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया, लेकिन इससे विमुक्त जनजातियों को कोई लाभ नहीं हुआ। ये केवल एस सी, एस टी और ओबीसी की संख्या में वृद्धि करने और तदनुसार कोटा बढ़ाने में सहायक हुये। इनके हिस्से में न नौकरियां आयीं और न ही अन्य सत्ता प्रतिष्ठानों में प्रतिनिधित्व ही मिला। उल्टे इनके विकास के लिये योजना आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन राशि को भी एस सी, एस टी और ओबीसी के मलाईदार तबकों ने हड़प लिया. सुविधा, संरक्षण एवं आरक्षण भक्षण का सिल सिला आज भी बदस्तूर जारी है. विशेषज्ञों एवं कतिपय उच्च न्यायालयों ने भी माना है कि विमुक्त जनजातियाँ एक पृथक विशिष्ट वर्ग हैं, इन्हें एससी, एसटी या ओबीसी के साथ सम्मिलित करने से इनको न्याय नहीं मिल सकता। आवश्यकता यह है कि या तो इनके लिए एससी, एसटी की तरह अलग शेड्यूल बनाया जाय या एससी, एसटी और ओबीसी में पृथक उपश्रेणी बनायीं जाय।[12]

विमुक्त जनजातियाँ 31 अगस्त को मनाती हैं स्वतंत्रता दिवस– कथित अपराधी जनजातियों पर क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट भारत की आजादी के बाद भी लागू रहा। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल एक्ट समाप्त किया गया था, इसलिये भारत में सभी विमुक्त समुदाय प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हालांकि अपराधी जनजाति अधिनियम की समाप्ति के उपरातं इन समुदायों को जन्मजात अपराधी होने के कलंक से तो सरकारी कागजातों में मुक्ति मिल गई, किंतु जैसा कि महाश्वेता देवी ने अपने एक आलेख में उद्धृत किया है कि भारत सरकार ने 1959 में इस कानून का नाम बदल कर है बिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट कर दिया। इस तरह से भारत सरकार ने

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

वस्तुतः अंग्रेजों के कानून को यत्न पूर्वक सुरक्षित कर लिया। आजादी के बाद गठित 11 कमेटियों ने विमुक्त समुदायों के उत्थान हेतु कतिपय संस्तुतियां की थीं किन्तु उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कमेटियों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर गठित प्रथम राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग (रेनके आयोग–2008) की सिफारिशों को लागू किये जाने योग्य ही नहीं माना। इसके बाद भिकू रामजी इदाते, दादा की अध्यक्षता में एक और, द्वितीय राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग (इदाते आयोग–2018) का गठन किया गया। इदाते आयोग ने सारगर्भित और कानूनन स्वीकार किए जाने योग्य कुल बीस सिफारिशों वाली अपनी रिपोर्ट, जनवरी 2018 में ही भारत सरकार को पेश कर दी थी।[13]

चूंकि 1857 की रक्त रंजित क्रांति की भूमि उत्तर प्रदेश थी, इसलिए जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लागू किया गया तो उस समय के यूनाइटेड प्रोविंसेस में ही लागू किया गया था। इसके बाद 1876 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, 1911 में मद्रास प्रेसीडेंसी में और 1924 में समस्त ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। जाहिर है कि अपराधी जनजाति अधिनियम के क्रूर प्रावधानों को सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की विद्रोही जनजातियों ने ही झेला। किंतु अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया, यहां की विमुक्त एवं घुमंतू जातियों के प्रति बहुत अधिक उपेक्षा पूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित विमुक्त एवं घुमंतू जातियां हैं, जो राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अपनी मूलभूत पहचान (जाति प्रमाण पत्रों के निर्गतिकरण) से ही वंचित है।

उत्तर प्रदेश में निवासरत प्रामाणिक विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियां–

अ. विमुक्त जनजातियाँ जो एक स्थान पर रहतीं हैं [14] :

1–बंजारा (ओबीसी) 2– भर (ओबीसी) 3– दलेर कहार (ओबीसी) 4– गंदीला (सामान्य) 5– घोसी (ओबीसी) 6– केवट (ओबीसी) 7– मल्लाह (ओबीसी) 8– लोध/लोधी (ओबीसी) 9– मेवाती (ओबीसी) 10– औधिया (ओबीसी) 11–तगा भाट (सामान्य) 12– मुसहर (एससी) 13– गूजर/गुर्जर (ओबीसी) 14– बौरिया (एससी) 15– करवाल (एससी) 16– नट (एससी) 17–कंजर (एससी) 18– अहेरिया/बहेलिया (एससी) 19– भांतु (एससी) 20– चमार (एससी) 21– पासी (एससी) 22– खटीक (एससी) 23– हबुरा हबूड़ा (एससी) 24– बदक (एससी) 25– डोम (एससी) 26– दुशाध ६ पलवर (एससी) 27– बरवार (एससी) 28– सांसी (एससी) 29– बेड़िया (एससी) 30– गीधिया (सामान्य) 31– कुचबंदिया (एससी) 32– खंगार (सामान्य) 33– महातम –रायसिख (ओबीसी). अनुसूचित जाति में शामिल उपरोक्त जातियों में से बहेलिया, कुचबंदिया एवं बेड़िया सामाजिक व्यवहार में अस्पृश्य नहीं मानी जातीं हैं. जबकि खंगार सामाजिक व्यव्हार में स्पृ।य होते हुये भी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग में हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने अभी गीधिया, कुचबंदिया, खंगार एवं महातम रायसिख जाति को विमुक्त जाति की सूची में शामिल नहीं किया है।

ब. उत्तर प्रदेश में प्रामाणिक रूप से निवासरत घुमंतू जनजातियां 15 :

1– खुरपलटा (सामान्य) 2– मोगिया (सामान्य) 3– मदारी (ओबीसी) 4– सिंगिवाला (सामान्य) 5– औघड़ (सामान्य) 6– बैद (सामान्य) 7– भाट (सामान्य) 8– चमरमंगता (सामान्य) 9– जोगी (ओबीसी) 10– जोगा (सामान्य) 11– किंगिरिया (सामान्य) 12– महावतध्लुंगी पठान (सामान्य) 13– कलंदर फकीर (सामान्य) 14– भटरी (सामान्य) 15– सपेरा (सामान्य) 16– करमंगिया (सामान्य) 17– बेलदार (एससी) 18– गोसाईं 19– कनमैलिया (सामान्य) 20– गोदुआहार (सामान्य) 21– लोना चमार (सामान्य) 22– बरगी (सामान्य) 23– सिकलीगर (सामान्य) 24– कंकाली (सामान्य) 25– ब्रजवासी (सामान्य) 26– गाड़िया लोहार (सामान्य) 27– बांसफोर ६ बसोर (एससी) 28– पथरकट (सामान्य) 30– धरकार (एससी) 31– बाघरी. (सामान्य)

शिक्षा के अधिकार से वंचित उत्तर प्रदेश की विमुक्त एवं घुमंतू जातियां–

विमुक्त जनजातियों की पहचान के श्रोत – विमुक्त जनजातियों की संख्या न तो बढ़ सकती है और न ही घट सकती है. क्योंकि विमुक्त जनजातियाँ वे हैं जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के किसी भी भाग में अपराधी जनजाति माना गया था। इनकी पहचान के दस्तावेजी प्रमाण निम्नवत हो सकते हैं।

1– केन्द्रीय क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी, 1949–50 (अय्यंगर कमेटी) की रिपोर्ट : क्रिमिनल ट्राईब्स की सर्वाधिक प्रामाणिक लिस्ट अय्यंगर कमेटी ने, भारत सरकार को सौंपी गयी रिपोर्ट में दर्ज की है। कमेटी ने कुल 127 क्रिमिनल ट्राईब्स की पहचान की थी। उस समय कुल 19 राज्य थे। कुछ जातियां एक से अधिक राज्यों में पायीं गयीं थी। इस प्रकार सभी राज्यों की क्रिमिनल ट्राईब्स का योग 192 था।

2– राज्यों की वार्षिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एवं गजट नोटीफिकेशन। 1871 से 1952 तक।

3– सेन्सस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्सः 1881 से 1931 की जनगणना रिपोर्ट्स। (यद्यपि जनगणना रिपोर्ट में 1911 से

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-1, Issues-16 YEAR- June. -2020

क्रिमिनल ट्राईब्स का नियमत कॉलम जोड़ा गया था)

4–1952 के पहले राज्यों द्वारा तैयार क्रिमिनल ट्राईब्स की सूचियां एवं बाद में तैयार की गयी, विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सूचियां।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजातियों की संख्यावार नवीनतम स्थिति–

इदाते आयोग–2018 ने उक्त श्रोतों के आधार पर 36 राज्योंध्केंद्र शासित राज्यों की कुल 464 विमुक्त, 827 घुमंतू तथा 32 अर्द्ध घुमंतू जनजातियों की पहचान की है। अधिकांश विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियां एक से अनेक राज्यों में निवास करतीं हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की विमुक्त जनजातियों के विकास में मुख्य बाधायें – विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों को भी मिले शिक्षा का अधिकारः किसी भी समुदाय के विकास की प्रथम सीढ़ी शिक्षा है। आजादी के बाद 1952 में ब्रिटिश कालीन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की समाप्ति के बाद प्रत्येक राज्य में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए थे। उत्तर प्रदेश में भी इन जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए अन्य राज्यों की तुलना में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए हर राज्य के लिये महाराष्ट्र राज्य एक आदर्श मॉडल है। यहां पर एक हजार आश्रम पद्धति विद्यालय, विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खोले गए हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात की सम्मिलित आबादी के मुकाबले उत्तर प्रदेश की विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की आबादी 4 गुना से भी ज्यादा है, किंतु यहां पर केवल 76 आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए हैं[16] उनमें भी विमुक्त जाति के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, क्योंकि उपरोक्त जातियों में से कुछेक को छोड़कर किसी को भी राज्य के दो, चार या छह जिलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं,[17] जबकि वे लगभग सभी जनपदों में निवासरत हैं. आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना केवल विमुक्त एवं घुमंतू जाति के विद्यार्थियों के लिये, शासनादेश वर्ष 1961 के क्रम में की गई थी।[18] ये सभी विद्यालय आवासीय हैं, जिनमें निशुल्क शिक्षा, आवास, ड्रेस, पुस्तकें, भोजन एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था है, किन्तु राज्य सरकार ने 2006 से इन विद्यालयों में अनुसूचित जातिध अनुसूचित जनजातिधविमुक्त जाति के लिये सम्मिलित रूप से 60 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 25 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दीं।[19] इस कारण विमुक्त जाति के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता है।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जनपद वार प्रतिबंध लगाने से केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही यह जातियां शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं है, अपितु केंद्र सरकार द्वारा संचालित डॉ. आंबेडकर प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्टल योजना व ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना से भी वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के मेडिकल कॉलेज मैं अन्य राज्यों की विमुक्त एवं घुमंतू जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी इन्हें कोई अवसर नहीं मिल पाता है।

ब्रिटिश पीरियड में अंतिम बार जातिवार जनगणना 1931 में हुई थी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि क्रिमिनल ट्राईब्स अर्थात आज की विमुक्त जातियां डिप्रेस्ड क्लास से भी ज्यादा पिछड़ी हुई हैं।[20] भारत के विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के विभिन्न संगठन अनुभव करते हैं कि जब तक इस विशाल वंचित आबादी के लिये पृथक संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थाई राष्ट्रीय आयोग नहीं होगा, तब तक इनके साथ सामाजिक अन्याय होता ही रहेगा. इस हेतु वे लगातार मांग कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1– Devi Mahasweta] Denotified Tribes] A people branded by law] The Hindustan Times] June 28, 1998.
2– मिश्र, डॉ. सुरेश, रामगढ की रानी, पृष्ठ 11.
3– लोधी, डॉ. बी के, ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोही, हीरापुर के हिरदेशाह,फारवर्ड प्रेस, अक्टूबर 8,2018.
4– पृष्ठ संख्या 62 व 63, नरसिंहपुर गजेटियर।
5– द गजट ऑफ इंडिया, जून 6, 1936.
6– The Criminal Tribes Act] Enquiry Commit tee, 1949&50, Para, 137.
7– मुंशी कमेटी ऑफ बाम्बे प्रेसिडेंसी–1937ण
8– Appropiation Bill No- 4 of 2008 for Develop ment of Denotified Tribes and Nomadic Tribes In Lok Shabha.
9– Criminal Tribes Law (Repeal) Act 1952, Act 24 of 1952, Dated March 6, 1952.
10– Kurup],A.M., Welfare of Denotified Tribes, Ministry of Welfare, Encyclopaedia of Social work in India volume&III, p- 366.
11– Findings during FGDs of Kuchbandia Com munity of Bundelkhand.
12– As quoted in Idate Commission's Re port&2018.
13– लोधी, बी के, विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के लिए

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-1, Issues-16 YEAR- June. -2020

इदाते कमीशन की सिफारिशें. फॉरवर्ड प्रेस, मार्च 17, 2019.

14– इदाते आयोग–2018 की रिपोर्ट में दी गयी सूची.

15– तदैव ।

16– समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ।

17– उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 22 C&M / 26–3–2013.

18– U-P- G-O- No- 899 (a) XXVI&700 (5) &1959 Dated% Lucknow May, 12, 2961.

19– उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 2756–26–3–2006–10 (8)ध 2005 टी.सी.दिनांक 10 अगस्त 2006.

20– Census of India Report] 1931] United Provinces.

*****